

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
लोक सभा  
23.07.2025 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 571 का उत्तर

रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तपोषण

571. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिळाची थंगापंडियन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार तमिलनाडु में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए एनएचएआई और अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की गई कीमत की तुलना में सरकार द्वारा निर्धारित औसत मूल्य का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में लंबित और चल रही रेलवे परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) लंबित रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  
(श्री अश्विनी वैष्णव)

- (क) से (ङ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है न कि राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार/जिला-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला की

सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों एवं वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थोकाँरवड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तमिलनाडु में रेल परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 22,808 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 1,700 किलोमीटर लंबाई की 15 रेल परियोजनाएं (9 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 03 दोहरीकरण) स्वीकृत हैं, जिनमें से 665 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2025 तक 7,591 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	9	812	24	1,337
आमान परिवर्तन	3	748	604	3,471
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	3	140	37	2,783
कुल	15	1700	665	7,591

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	879 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	6,626 करोड़ (7.5 गुना से अधिक)

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुकी हुई हैं। तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:-

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए कुल अपेक्षित भूमि	4315 हैक्टेयर
भूमि अधिग्रहण	1038 हैक्टेयर (24%)
अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि	3277 हैक्टेयर (76%)

भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित हुई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आवश्यक कुल भूमि (हैक्टे. में)	अधिगृहीत भूमि (हैक्टे. में)	अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि (हैक्टे. में)
1.	तिंडीवनम-तिरुवन्नामलाई नई लाइन (71 कि.मी.)	273	33	240
2.	अतिपट्टू - पुतुर नई लाइन (88 कि.मी.)	189	0	189
3.	मोरप्पुर - धर्मपुरी (36 कि.मी.)	93	42	51
4.	मन्नारगुडी-पट्टुकोट्टई (41 कि.मी.)	196	0	196
5.	तंजावूर-पट्टुकोट्टई (52 कि.मी.)	152	0	152

भारत सरकार ने परियोजना के निष्पादन की तैयारी कर ली है। बहरहाल इसकी सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है, जो भुगतान की जाने वाली मुआवजा राशि का निर्धारण करती है।

किसी भी परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का हस्तांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं के पूर्ण होने के समय एवं लागत को प्रभावित करते हैं।

\*\*\*\*\*